

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | ಬೆಂಗಳೂರು और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित



5 मराठों को आरक्षण देने के प्रयास जारी : फडणवीस

6 हिंसामुक्त नारी समाज का सपना अधूरा क्यों?

7 गिरिराज सिंह ने बिहार में हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की

‘डीपफेक’ निर्माता और संबंधित मंचों दोनों पर लगाया जा सकेगा जुर्माना

जुर्माना लगाने के लिए नए नियमन लाएगी सरकार : वैष्णव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ‘डीपफेक’ को ‘लोकतंत्र के लिए खतरा’ करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार इस बारे में नए नियमन लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत ‘डीपफेक’ बनाने वालों और संबंधित मंचों दोनों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। ‘डीपफेक’ को कृत्रिम मेधा (एआई) का इस्तेमाल करते हुए किसी तस्वीर या वीडियो में मौजूद व्यक्ति की जगह किसी दूसरे को दिखा दिया जाता है। इसमें इतनी समानता होती है कि असली और नकली में अंतर करना काफी मुश्किल होता है। हाल ही में, बॉलीवुड के कई कलाकारों को निशाना बनाने वाले कई ‘डीपफेक’ वीडियो सोशल मीडिया मंच पर आए। इसपर कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की। इससे नकली सामग्री बनाने के लिए प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों के दुरुपयोग को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया मंच, नैसकॉम और कृत्रिम मेधा(एआई) के क्षेत्र के अन्य प्रोफेसर सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक के बाद



उन्होंने कहा, ‘डीपफेक लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बनकर उभरा है। ये समाज और उसके संस्थानों में विश्वास को कमजोर कर सकते हैं।’ वैष्णव ने कहा कि सरकार 10 दिन के भीतर चार स्तंभों... ‘डीपफेक’ का पता लगाने, ऐसी सामग्री के प्रसार को रोकने, इसकी सूचना देने के तंत्र को मजबूत करने और मुद्दे पर जागरूकता फैलाने पर कार्यवाई योग्य कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक में मौजूद सभी हितधारकों ने ‘डीपफेक’ के संबंध में समान चिंताएं जाहिर कीं। मंत्री ने कहा, ‘सभी सोशल मीडिया मंच ‘डीपफेक’ का पता लगाने के लिए व्यापक प्रायोगिकी के इस्तेमाल पर सहमत हुए।’ भारत में 80 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनके दो वर्षों में 120 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है।

वैष्णव ने कहा कि ‘डीपफेक’ विज्ञापन या भ्रमक प्रचार एक खतरा है जिसका भारतीय समाज वर्तमान में सामना कर रहा है। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ‘सोशल मीडिया का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि ‘डीपफेक’ बिना किसी रोक-टोक तेजी से फैल जाए। यही कारण है कि हमें समाज और हमारे लोकतंत्र में विश्वास को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले साह आगाह किया था कि एआई से बनाए गए ‘डीपफेक’ बड़े संकट का कारण बन सकते हैं। समाज में असंतोष उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने मीडिया से इसके दुरुपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शिक्षित करने का आग्रह भी किया था। वहीं वैष्णव ने गत शनिवार को आगाह किया था कि अगर मंच ‘डीपफेक’ को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाते हैं, तो उन्हें आईटी अधिनियम के तहत वर्तमान में जो ‘सुरक्षित हार्बर प्रतिक्रिया’ मिली है, वह नहीं दी जाएगी। हितधारकों के साथ बैठक के बाद बृहस्पतिवार को उन्होंने कहा कि ‘डीपफेक’ वीडियो निर्माताओं ने ‘लेबलिंग’ और ‘वाटरमार्क’ का भी तोड़ निकाल लिया है।

क्रिकेटर श्रीसंत के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज

कन्नूर (केरल)/भाषा। पुलिस ने केरल के कन्नूर जिले में एक व्यक्ति की ओर से दर्ज धोखाधड़ी की शिकायत के आधार पर पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंत और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। जिले के चूड़ा के रहने वाले शिकायतकर्ता सरीश गोपालन ने आरोप लगाया कि आरोपी राजीव कुमार और वेंकटेश किनी ने 25 अप्रैल, 2019 से अलग-अलग दिन उनसे 18.70 लाख रुपये लिए, उनका दावा था कि वे कर्नाटक के कोल्लूर में एक खेल अकादमी बनाएंगे जिसमें भारत के पूर्व तेज गेंदबाज श्रीसंत इसमें पार्टनर हैं। गोपालन ने शिकायत में कहा कि अकादमी में पार्टनर बनने का अवसर मिलने के बाद उन्होंने पैसे का निवेश किया।

आजादी के ‘अमृतकाल’ में पहली बार देश गुलामी की मानसिकता से बाहर आया है : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मथुरा (उप्र)/भाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि आज आजादी के ‘अमृतकाल’ में पहली बार देश गुलामी की मानसिकता से बाहर आया है। उन्होंने ‘मीराबाई जन्मोत्सव’ को संबोधित करते हुए कहा, ‘भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त संत मीराबाई का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा शक्ति है। मथुरा की पावन धरा पर संत मीराबाई की 525 वीं जन्म-जयंती के उत्सव में शामिल होना मेरे लिए



सोभाय की बात है।’ प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना की। वह भगवान कृष्ण भक्त की 525 वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित ‘मीराबाई जन्मोत्सव’ में भाग लेने के लिए यहां आये हैं। मोदी ने श्रीकृष्ण जन्म भूमि मंदिर में पूजा करने के बाद एक्स पर लिखा, ‘मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दिव्य पूजन का सोभाय मिला। ब्रज के कण-कण में

बसे गिरधर गोपाल के मनोहारी दर्शन ने भाव-विभोर कर दिया। मैंने उनसे देशभर के अपने सभी परिवारजनों के लिए सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की।’ प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई की 525 वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और 525 रुपये का सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा, ‘आज आजादी के अमृतकाल में पहली बार देश गुलामी की मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से ‘पंच प्रणों’ का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं।’

आज बाहर निकाले जा सकते हैं सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने में अगले कुछ घंटों में या शुरुआत तक ‘सफलता’ मिल सकती है। श्रमिकों को बचाने के अभियान के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए, एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सैवानियुक्त) सैयद अता हसनैन ने कहा कि बचाव अभियान की समयसीमा पर अटकलें लगाना उचित नहीं होगा क्योंकि यह युद्ध लड़ने जैसा है। उन्होंने यह भी कहा कि बचाव कार्य रुक गया है और इसके शीघ्र ही फिर से शुरू होने की



संभावना है। हालांकि हसनैन के इस बयान से पहले बचाव अभियान की निगरानी कर रहे प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार भारकर खुल्बे ने संवाददाताओं को बताया कि सिलक्यारा में सुरंग में मलबे में ‘ड्रिलिंग’ के दौरान आई बाधा को दूर करने के बाद बृहस्पतिवार को सुबह फिर से बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। खुल्बे ने बताया था, ‘लोहे के सरिये के कारण उत्पन्न

समस्या को दूर कर लिया गया है। गैस कटर का इस्तेमाल कर सरिये को काट दिया गया है।’ एनडीएमए सदस्य ने यह भी कहा कि श्रमिकों को बचाने के लिए क्षैतिज ‘ड्रिलिंग’ में तीन से चार और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि 41 एनडीएमए सुरंग स्थल पर मौजूद हैं और गंभीर स्थिति वाले श्रमिकों को हवाई मार्ग से ले जाने की भी सुविधाएं हैं।

23-11-2023	24-11-2023
सूर्योदय 5:50 बजे	सूर्योदय 6:22 बजे
BSE 66,017.81 (-5.43)	NSE 19,802.00 (-9.85)
सोना 6,240 ₹. (24 केन्ट) प्रति बाण	चांदी 71,700 ₹. प्रति किलो

मिशान मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी पत्रिका
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

अस्थाई राज
इतनी भी नाराजी क्यों हैं, सत्ता तो आनी-जानी। ऐसी भाषा बोल रहे क्यों, जैसे हो दुश्मन जानी। बोलो कब ठहरा है अब तक, बहती नदिया का पानी। लोकतंत्र में नहीं चलेगी, कभी किसी की मनमानी।।

‘शिवकुमार संबंधित मामला सीबीआई को देने का भाजपा सरकार का फैसला कानून सम्मत नहीं’

बेंगलूरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी देने का पूर्ववर्ती भाजपा सरकार का फैसला कानून के अनुरूप नहीं था। विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, मंत्रिमंडल ने माना कि पुराने महाधिवक्ता और नये महाधिवक्ता की राय को ध्यान में रखते हुए, विधानसभा अध्यक्ष को दरकिनार और नजरअंदाज करते हुए जो निर्णय लिया गया, वह कानून के अनुरूप नहीं है। अतिरिक्त विवरण साझा किए बिना उन्होंने कहा, आदेश कुछ दिनों में जारी किए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिवकुमार कैबिनेट बैठक का हिस्सा नहीं थे।

लश्कर का एक शीर्ष कमांडर डेर

राजौरी/जम्मू/भाषा। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में बृहस्पतिवार को लश्कर-ए-तेयबा (एलईटी) के शीर्ष कमांडर समेत दो आतंकवादी मारे गये। लश्कर के कमांडर ने अफगानिस्तान में प्रशिक्षण हासिल किया था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बुधवार को मुठभेड़ में विशेष बल के दो कैप्टन समेत चार सैन्यकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। धर्मसाल के बाजीमाल इलाके में हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के दो अन्य जवान घायल हो गए थे। अधिकारी ने बताया कि रात भर के विराम के बाद आज सुबह गोलीबारी फिर से शुरू हो गई, जिसमें दोनों आतंकवादी मारे गये।

करदाता कृपया ध्यान दें !

जल्दी करें !

विस्तारित समय-सीमा

30 नवम्बर

को समाप्त हो रही है

तिथि का ध्यान रखें

धारा 12AB तथा 10(23C) के अंतर्गत पंजीकृत धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों के मामले में आईटीआर 7 दाखिल करने के लिए

धारा 11 या 10(23C) के अंतर्गत छूट के लाभ की अनुमति नहीं होगी

आयकर विभाग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं

